रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2004/आश्विन 22, 1926
No. 239] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2004/ASVINA 22, 1926

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2004

फा. सं. ए-60011/11/2004-के.वी.आई.—जबकि, भारत सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहां इसके बाद "आयोग" के रूप में उल्लिखित खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दिनांक 14 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना का.आ. 1120(अ) द्वारा भंग कर दिया है;

तथा जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 2 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार 14 अक्तूबर, 2004 की उक्त तिथि के ठीक पहले उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के अधीन सभी परिसंपत्तियां एवं निधियां जो आयोग के अधिकार में थीं, केंद्र सरकार में निहित कर दी गई है;

तथा जबकि अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने आयोग के भंग होने के बाद आयोग के सदस्यों अथवा अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है;

तथा जबकि, पूर्व आयोग की सभी सम्पत्तियां और निधियां, जो कि आयोग के भंग होने के बाद अब केंद्र सरकार में निहित हैं, केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रशासित किया जाना अपेक्षित है;

तथा जबकि, यह आवश्यक है कि पूर्व आयोग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी वर्तमान नीतियां, कार्यक्रमों, स्कीमों तथा अन्य संबंधित गतिविधियों को समान शर्तों पर जारी रखा जाए।

अब, इसलिए, भारत संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा संकल्प करती है कि खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त के नाम पर एक प्राधिकारी गठित किया जाएगा जो कि उक्त आयोग की सभी सम्पत्तियों और निधियों की

देखभाल करेगा, जो कि इसके भंग होने के समय इसके अधिकार में था तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सभी शक्तियों का उपभोग करेगा और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सारे कार्य करेगा, जो कि इससे पूर्व खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 (1956 का 61), खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 1957 और उसके बाद निर्मित विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के अधीन उक्त आयोग द्वारा सम्पादित किया जाता था;

2. केंद्र सरकार यह संकल्प भी पारित करती है कि खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त संगठन के उपयुक्त कामकाज के लिए जिम्मेवार होगा तथा मुख्यतः निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेगा नामतः-

(1) संगठन के सभी विभागों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण लागू करने के लिए;
(2) खादी और ग्रामोद्योग के गठन और विकास की योजना, संवर्धन, संगठन में सहायता तथा ग्रामीण विकास में लगी अन्य एजेंसियों के साथ जहां आवश्यक हो वहां समन्वय करना।
(3) खादी और ग्रामोद्योग में रोजगार प्राप्त या रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और उसका आयोजन;
(4) कच्ची सामग्री और उपकरणों का भंडार निर्मित करना तथा उन्हें यथानिर्धारित दरों पर ऐसे व्यक्तियों को आपूर्ति करना जो कि हस्तनिर्मित रेशे या खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन में संलग्न हैं।
(5) कच्ची सामग्रियों या अर्द्धनिर्मित वस्तुओं के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना तथा खादी या ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन तथा विपणन को अन्यथा सुविधा प्रदान करना।
(6) खादी की बिक्री एवं विपणन तथा ग्रामोद्योग उत्पादों का संवर्धन।
(7) खादी और ग्रामोद्योगों में इस्तेमाल की जा रही प्रौद्योगिकी में अनुसंधान संवर्धन एवं प्रोत्साहन, जिसमें उत्पादकता बढ़ाने, नीरसता कम करने की दृष्टिकोण से अ-पारंपरिक ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति भी शामिल है तथा उनके प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में बृद्धि करना तथा ऐसे अनुसंधान से निकले विशिष्ट परिणामों की प्रचार व्यवस्था।
(8) खादी और ग्रामोद्योगों की समस्याओं के बारे में सीधे अथवा किसी बाहरी अभिकरण से अध्ययन संचालित कराना।
(9) खादी अथवा ग्रामोद्योगों के विकास से जुड़े संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उन्हें उत्पादन एवं सेवाओं के प्रयोजन के लिए डिजाइन, प्रोटोटाइप एवं अन्य तकनीकी जानकारी देते करते हुए मार्गदर्शन प्रदान करना।
(10) प्रयोग अथवा प्रायोगिक परियोजना संचालित करना, जो खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है।
(11) किसी भी परियोजना अथवा उक्त सभी को संचालित करने के लिए अलग संगठन बनाना।
(12) प्रामाणिकता सुनिश्चितता एवं गुणवत्ता मानकीकरण निर्धारित करना, ताकि खादी और ग्रामीण उद्योग उत्पादों में उक्त मानकीकरण की पुष्टि हो सके, इसमें संबंधित व्यक्ति को मान्यता के लिए प्रमाणपत्र अथवा पत्र जारी करना भी शामिल है।

(13) आयोग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.), रिबेट स्कीम आदि जैसे स्कीमों को लागू करना।

(14) प्रत्येक वर्ष के निर्धारित तारीख अनुसार बजट तैयार करना और केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।

(15) संगठन के पक्ष में प्राप्तियों एवं खर्च के संबंध में लेखा का रख - रखाव।

(16) व्यापारिक एवं अन्य गतिविधियों के लिए स्वयं या संबंधित अधिकारी अथवा नामित प्राधिकारी द्वारा संविदा जारी करना,बशर्ते कि स्वीकृत बजट में इसका प्रावधान हो।

(17) सरकार द्वारा समय समय पर खादी और ग्रामीण उद्योग के लिए निर्धारित ऋण नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एवं प्रत्येक उद्योगों के संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों और दर के अनुसार ऋण मंजूर करना।

(18) केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के अनुसार उधार लेना, खादी एवं ग्रामोद्योग निधि की सुरक्षा अथवा किसी अन्य परिसम्पत्तियां जिस प्रयोजन के लिए लिया गया है उसी प्रयोजन के लिए उक्त निधि का इस्तेमाल करना।

(19) वित्तीय सलाहकार के परामर्श से 10,000 रुपये तक की राशि को बट्टे खाते में रखना, बशर्ते कि वे निम्नलिखित के किसी अथवा सभी श्रेणी में आते हैं :-

(क) हानि अथवा गैर वापसीयोग्य मूल्य अथवा सार्वजनिक रकम की चोरी, धोखाधड़ी आदि होने की स्थिति में ;

(ख) ऋण के अतिरिक्त हानि एवं गैर वसूलीयोग्य अग्रिम : और

(ग) भण्डार के मूल्य में कमी एवं मूल्यह्रास।

(20) हानि के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करना और उस व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई सहित विस्तृत विवरण सरकार को भेजना।

(21) किसी करार,अभिव्यक्त अथवा अन्तर्निहित,अथवा अन्यथा जैसा भी हो, भू-राजस्व के बकाया के रुप में खादी और ग्रामीण उद्योग के आयुक्त हेतु भुगतानयोग्य राशि की वसूली।

(22) अन्य स्कीम अथवा ऐसे कार्य , जो केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें सौंपा जाता है, कार्यान्वित करना।

(23) ऐसे अन्य डयूटी को हाथ में लेना एवं ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना,जो केन्द्र सरकार द्वारा सौंपा जाता है।

(24) केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए निदेश जारी करना।

(25) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रासंगिक अन्य कार्य पूरा करना।

3. केन्द्र सरकार यह भी संकल्प करती है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्तीय सलाहकार एवं आयोग के सभी अन्य अधिकारी/कर्मचारी, जिसमें व्यापारिक संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी भी शामिल हैं, कार्यालय में बने रहेंगे तथा सेवा के मामले में उनकी प्रास्थिति वही होगी जो आयोग को भंग करते समय रही है तथा अब से वे खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त के पर्यवेक्षण और समग्र नियंत्रण में कार्य करेंगे।

4. केन्द्र सरकार आगे यह भी संकल्प करती है कि खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यकतानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त आयोग के भंग होने की तारीख से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए लागू मौजूदा नियमों के अनुसार पदोन्नति, ऋण एवं अग्रिमों,छुट्टी,अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आचरण के संबंध में सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

5. केन्द्र सरकार आगे यह भी संकल्प करती है कि सभी प्रकार की देयताएं, खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए संविदाएं तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए आयोग को भंग करने की तारीख से पहले सौंपे गये हैं उसे खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त के पक्ष में किया गया समझा जाएगा।

6. केन्द्र सरकार इस संबंध में कानून के द्वारा संसद में आवश्यक संशोधन के बाद खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के संबंध में आवश्यक विचार कर सकती है ताकि उपरोक्त कामकाज का निष्पादन हो सके।

7. केन्द्र सरकार आगे यह भी संकल्प करती है :-

(क) खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त खादी, ग्रामोद्योग अथवा खादी और ग्रामोद्योगों के विकास हेतु सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति से उपहार, अनुदान, दान अथवा लाभ प्राप्त कर सकता है।

(ख) खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त तीन अलग अलग निधि,जो खादी निधि, ग्रामोद्योग निधि और सामान्य एवं विविध निधि के नाम से जाना जाता है, को जारी रखेंगे तथा आयुक्त के पक्ष में प्राप्त सभी राशि को इन निधि के नामे करेंगे और इसका इस्तेमाल उसी प्रयोजन के लिए किया जाए,जैसा कि आयोग के भंग किये जाने से ठीक पहले किया जाता रहा है।

(ग) खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमति के साथ ही आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु विद्यमान समिति एवं उप-समिति को समाप्त करते हुए नई समिति एवं उप - समिति का गठन कर सकते हैं।

(घ) खादी और ग्रामीण उद्योग आयुक्त का मुख्यालय मुंबई होगा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य स्थान होगा।

(ङ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयुक्त किसी कारण से कार्यालय आने में असमर्थ रहते हैं तो केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रुप से प्राधिकृत कोई अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग आयुक्त की डयूटियों एवं कार्यों का निर्वहन करेगा।

(च) उपरोक्त बगैर किसी पूर्वाग्रह के, इस संकल्प के अधीन अपनी शक्तियों और कार्यों के निर्वहन में खादी एवं ग्रामोद्योग के आयुक्त केन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर दी जाने वाली सलाह और निदेशों के लिए बाध्यकारी रहेगें।

ए.पी. पाढ़ी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

RESOLUTION

New Delhi, the 14th October, 2004

F. No. A-60011/11/2004-KVI.—Whereas the Government of India in exercise of the powers conferred under Sub-section (1) of Secton 25 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) has dissolved the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), hereinafter referred to as "Commission", vide notification S.O. No. 1120(E) dated the 14th October, 2004, with effect from the 14th October, 2004;

AND WHEREAS in accordance with the powers conferred under clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the said Act on and from the said date of the 14th October, 2004, all properties and funds which, immediately before the said date, were in the possession of the Commission for the purposes of the said Act have been vested in the Central Government;

AND WHEREAS all members including Chairman have vacated their office as members or Chairman of the Commission on dissolution of the Commission;

AND WHEREAS all properties and funds of the erstwhile Commission which have now got vested in the Central Government after the dissolution of the Commission are required to be administered by the Central Government through its designated authority;

AND WHEREAS, it has become necessary to continue all existing policies, programmes, schemes and all other related activities on the same terms and conditions as were being implemented by the erstwhile Commission immediately before its dissolution;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Article 73 of the Constitution of India, the Central Government hereby resolves that an authority in the name of the Commissioner for Khadi and Village Industries be established who shall henceforth look after all the properties and funds of the said Commission, which were in its possession at the time of its dissolution and exercise all powers and perform functions of the Khadi and Village Industries Commission, which were hitherto being performed by the said Commission, under various provisions of Khadi and Village Industries Act, 1956 (61 of 1956), Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957 and regulations made thereunder.

2. The Central Government also resolves that the Commissioner for Khadi and Village Industries shall be responsible for the proper functioning of the organization and shall perform the following functions, namely :-

(i) to exercise administrative control over all departments and officers of the organization;

(ii) to plan, promote, organize and assist in the establishment and development of khadi and village industries in coordination with other agencies engaged in rural development wherever necessary;

(iii) to plan and organize training of persons employed or desirous of seeking employment in khadi and village industries;

(iv) to build up reserves of raw materials and implements and supply them to persons engaged or likely to be engaged in production of handspun yarn or khadi or village industries at such rates as may be decided;

(v) to encourage and assist in the creation of common service facilities for the processing of raw materials or semi-finished goods and for otherwise facilitating production and marketing of khadi or products of village industries;

(vi) to promote the sale and marketing of khadi, and products of village industries;

(vii) to encourage and promote research in the technology used in khadi and village industries, including the use of non-conventional energy and electric power with a view to increasing productivity, eliminating drudgery and otherwise enhancing their competitive capacity and to arrange for dissemination of salient results obtained from such research;

(viii) to undertake directly or through other agencies studies of the problems of khadi or village industries;

(ix) to provide financial assistance to institutions or persons engaged in the development and operation of khadi or village industries and guide them through supply of designs, prototypes and other technical information for the purpose of producing goods and services;

(x) to undertake experiments or pilot projects which may be necessary for the development of khadi and village industries;

(xi) to maintain separate organizations for the purpose of carrying out any or all of the above matters;

(xii) to ensure genuineness and to set up standards of quality so that products of khadi and village industries conform to the said standards, including issue of certificates or letters of recognition to the concerned persons;

(xiii) to implement the various schemes of the Central Government like the Rural Employment Generation Programme (REGP), Rebate Scheme, etc. being implemented by the erstwhile Commission;

(xiv) to prepare and submit budget by such date in each year to the Central Government for approval as may be prescribed;

(xv) To maintain or cause to be maintained an account of the receipt and expenditure of the organization;

(xvi) to enter into contracts, himself or through any officer authorised by him in connection with its trading and other activities provided provision therefor exists in the sanctioned budget;

(xvii) to grant loans in accordance with the provisions of the loan rules for khadi and village Industries made by the Government from time to time, and in accordance with and at rates and on terms sanctioned by the Government in respect of each industry from time to time;

(xviii) to borrow, with the previous sanction of the Central Government, on the security of the khadi fund, village industries fund or any other assets for any purposes for which such funds may be applied;

(xix) to write off losses with the prior consultation with the Financial Adviser, upto Rs. 10,000 falling under any or all of the following categories:-

(a) loss or irrecoverable value of stores or of public money due to theft, fraud etc.;

(b) loss or irrecoverable advance other than loans; and

(c) deficiency and depreciation in the value of stores.

(xx) to take suitable action against the persons responsible for the loss and shall also send to the Government a detailed report together with the action taken against the persons, if any, responsible for the loss;

(xxi) to recover sum payable to the Commissioner for Khadi and Village Industries under any agreement, expressed or implied, or otherwise howsoever, in the manner as an arrear of land-revenue;

(xxii) to implement any other scheme or perform such other functions which may be assigned to him by the Central Government;

(xxiii) to undertake such other duties and exercise such other powers as may be assigned to him by the Central Government;

(xxiv) to issue directions as to the method of carrying out the decisions of the Central Government; and

(xxv) to carry out any other functions incidental to the above.

3. The Central Government also resolves that the Chief Executive Officer, the Financial Adviser and all other employees of the erstwhile Commission, including those in the trading cadre shall continue to hold office and shall enjoy the same status in regard to service matters as they were doing at the time of dissolution of the Commission and shall henceforth function under the overall supervision and control of the Commissioner for Khadi and Village Industries.

4. The Central Government further resolves that the Commissioner for Khadi and Village Industries may appoint such other officers and staff, as it considers necessary for its efficient functioning with the prior approval of the Central Government. The Commissioner for Khadi and Village Industries shall also exercise all powers in the matters of promotion, loans and advances, leave, conduct of its officers and staff as per the existing rules applicable to Khadi and Village Industries Commission Employees on the date of dissolution of the said Commission.

5. The Central Government further resolves that all liabilities incurred by, all contracts entered into with and all matters and things engaged to be done by or for the Khadi and Village Industries Commission in connection with the development of khadi or village industries at any time before the

commencement of this Resolution, shall, after such commencement, be deemed to have been incurred by, entered into with, or engaged to be done by, or for, the Commissioner for Khadi and Village Industries.

6. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Commissioner for Khadi and Village Industries in each financial year such sums as may be considered necessary for performing the aforesaid functions.

7. The Central Government further resolves that -

(i) The Commissioner for Khadi and Village Industries may for the purpose of development of khadi, the development of village industries or the development of khadi and village industries, receive gifts, grants, donations, or benefactions from the Government or any other person;

(ii) The Commissioner for Khadi and Village Industries shall continue to have three separate funds called the khadi fund, village industries fund and the general and miscellaneous fund and all sums received by the Commissioner for Khadi and Village Industries shall be credited to these funds and shall also be applied for the purposes in the same manner as was being done immediately before the dissolution of the said Commission;

(iii) The Commissioner for Khadi and Village Industries may reconstitute the existing Committee(s) and sub-committee(s) and may constitute any new Committee(s) and sub-committee(s), as considered necessary, for performing any of the aforesaid functions, with the prior approval of the Central Government;

(iv) The headquarters of the Commissioner for Khadi and Village Industries shall be at Mumbai or at such other place as the Central Government may from time to time direct;

(v) The Commissioner for Khadi and Village Industries, if for any reason is unable to attend his office, any officer as may be specifically authorized by the Central Government shall discharge the duties and functions of the Commissioner for Khadi and Village Industries;

(vi) Without prejudice to the above, in discharge of its powers and functions under this Resolution, the Commissioner for Khadi and Village Industries shall be bound by such advice and directions as the Central Government may give to it from time to time.

A.P. PADHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.